

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 296

जिसका उत्तर 27 नवंबर, 2024 को दिया जाना है

कोयला उत्पादन बढ़ाने की योजना

296. डॉ. राजेश मिश्रा:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या योजनाएं/नीतियां क्रियान्वित की गई हैं;

(ख) नॉर्दर्न कोल फील्ड (एनसीएल), सिंगरौली, मध्य प्रदेश में कोयला खनन के लिए कार्यरत आउटसोर्स कंपनियों की संख्या कितनी है तथा आउटसोर्स कंपनियों में कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करने के लिए संपर्क का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड तथा आउटसोर्स कंपनियों के बीच अनुबंध का पूरा ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने और इसको बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं -

- i कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।
- ii कैप्टिव खान मालिकों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को ऐसी अतिरिक्त राशि के भुगतान पर केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित तरीके से खान से संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक बेचने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास और

विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 [एमएमडीआर अधिनियम] का अधिनियमन।

- iii कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र हेतु सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल।
- iv कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आबंटितियों की सहायता के लिए परियोजना निगरानी इकाई।
- v राजस्व शेयरिंग के आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी 2020 में शुरू की गई। वाणिज्यिक खनन स्कीम के अंतर्गत उत्पादन की निर्धारित तारीख से पूर्व उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) भी दिए गए हैं।
- vi कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होने, बोली प्रक्रिया में नई कंपनियों को भाग लेने की अनुमति देने, अग्रिम राशि में कमी, मासिक भुगतान के सापेक्ष अग्रिम राशि के समायोजन, कोयला खानों को प्रचालनात्मक बनाने के लिए लचीलापन को बढ़ावा देने हेतु उदार दक्षता मापदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व शेयरिंग मॉडल के साथ वाणिज्यिक कोयला खनन की निबंधन एवं शर्तें बहुत उदार हैं।

उपर्युक्त के अलावा, कोयला कंपनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं -

- i. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। सीआईएल अपनी भूमिगत (यूजी) खानों में, जहां कहीं व्यवहार्य हो, मुख्यतः सतत खनिकों (सीएम) के साथ व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियां (एमपीटी) अपना रही है। सीआईएल ने परित्यक्त/बंद खान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हाईवॉल (एचडब्ल्यू) खानों की भी योजना बनाई है। सीआईएल, जहां कहीं व्यवहार्य हो, बड़ी क्षमता वाली यूजी खानों की भी योजना बना रही है। सीआईएल की अपनी ओपनकास्ट (ओसी) खानों में पहले से ही उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटरों, डम्परों और सतही खनिकों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है।
- ii. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा नई परियोजनाओं की स्थापना

और मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालन के लिए नियमित संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयले की निकासी के लिए कोल हैंडलिंग प्लांट्स (सीएचपी), क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री-वे-बिन्स आदि जैसी अवसंरचना विकसित करने के लिए कार्रवाई शुरू की है।

कोयला/लिग्नाइट खानों में पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न संधारणीय और पर्यावरण अनुकूल पहलें की गई हैं जैसे कि वृक्षारोपण/जैव-पुनरुद्धार, सामुदायिक उपयोग के लिए खान जल का उपयोग, इको-पार्कों का विकास और ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाना।

इसके अलावा, वाणिज्यिक खनन के लिए सफल बोलीदाता और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के बीच निष्पादित कोयला ब्लॉक विकास और उत्पादन करार में यह अधिदेश दिया गया है कि सफल बोलीदाता आधुनिक और प्रचलित प्रौद्योगिकियों के अनुरूप कोयला खान में यंत्रीकृत कोयला निष्कर्षण, परिवहन और निकासी को लागू करेगा। तदनुसार, सफल बोलीदाता अच्छी उद्योग प्रथा के अनुरूप कोयला खान में प्रचालनों से कार्बन फुटप्रिंट को न्यूनतम करने का प्रयास करेगा, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएगा।

(ख) : नार्दर्न कोलफील्ड्स लि (एनसीएल), सिंगरौली, मध्य प्रदेश में कोयला खनन के लिए 14 आउटसोर्सिंग संविदाएं कार्यरत हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियों/ठेकेदारों को यथा संभव स्थानीय परियोजना प्रभावित लोगों को नियुक्त करना होता है और कंपनी द्वारा निर्धारित मजदूरी (खनन कार्यकलाप के लिए कार्य के निष्पादन के दौरान अधिसूचित और मौजूद) तथा एनसीएल के साथ बोली दस्तावेज/संविदाओं में समाविष्ट दिशा-निर्देशों से कम मजदूरी का भुगतान नहीं करना होता है।

(ग) : नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और आउटसोर्स की गई कंपनियों के बीच संविदा का ब्यौरा नीचे दिया गया है

क्र.सं.	क्षेत्र/परियोजना	संविदाकार का नाम	दी गई मात्रा (एमबीसीएम)*	अवधि (वर्ष)
1.	अमलोरी	मैसर्स बीआईपीएल-बीपीएल संयुक्त उद्यम	95.90	3.5
2.	अमलोरी	मैसर्स कलिंग कमर्शियल कॉर्प लिमिटेड	111.15	3.5
3.	बीना	मैसर्स बीजीआर डेको कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड	188.64	4.5

4.	दुधीचुआ	मेसर्स राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	160.42	3
5.	दुधीचुआ	मेसर्स जीएससीओ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	110.58	4
6.	जयंत	मेसर्स कैलिबर मर्सेंटाइल प्राइवेट लिमिटेड	122.00	2.8
7.	झिंंगुरदा	मेसर्स राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	48.98	4
8.	झिंंगुरदा	मेसर्स कलिंग कमर्शियल कॉर्प लिमिटेड	59.14	4
9.	खडिया	मेसर्स आईएससी एसए यादव जेवी	158.55	5
10.	निगाही	मेसर्स पीसी पटेल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	104.99	5
11.	निगाही	मेसर्स एसएलएल-एसआईपीएल (जेवी)	175.50	5
12.	कृष्णशिला	मेसर्स केएनआईएल-एसआईपीएल (जेवी)	28.884	3
13.	ब्लॉक-बी	मेसर्स नीलकंठ माइनिंग कंपनी	104.99	5
14.	कृष्णाशिला	मेसर्स केएनआईएल-एसआईपीएल (जेवी)	63.2001	4

* एमबीसीएम - मिलियन बैंक क्यूबिक मीट्रिक मीटर
